न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 3, उन्नाव
सत्र परीक्षण सं0—193/2019
राज्य प्रति रजयपाल लोधी

धारा—498ए,304बी,504भा0दं0सं0,
थाना—अजगैन, जिला—उन्नाव।

10.05.2022

पुकार पर अभियुक्त रजयपाल जेल से हाजिर आया ।

प्रार्थनापत्र 14 ख अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 पर पूर्व में सुना जा चुका है ।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र वादी मुकदमा की ओर से मृतका के ससुर सुल्तान व जेठ सूर्यपाल को बतौर अभियुक्त तलब करने हेतु इस आधार पर दिया गया है कि वादी पी0डब्लू0—1 व अन्य गवाह पी0डब्लू0—2 व पी0डब्लू0—3 द्वारा अपने बयान में आरोपितगण सुल्तान व सूर्यपाल को हत्या में लिप्त होने का कथन किया गया है ।

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहो में वादी मुकदमा गणेश पी0डब्लू0—1, ललित पी0डब्लू0—2,बाबूलाल पी0डब्लू0—3 एवं विनोद कुमार सिंह पी0डब्लू0—4 को परीक्षित कराया गया है । उपरोक्त गवाह पी0डब्लू0—1 , पी0डब्लू0—2 व पी0डब्लू0—3 मृतका के घर वाले है घटनास्थल के साक्षी नहीं है । अभियोजन के द्वारा दी गई गवाह लिस्ट में अभी घटनास्थल के साक्षीगण शेष है । अतः उनके साक्ष्य के उपरान्त प्रार्थनापत्र धारा 319 दं0प्र0सं0 का निस्तारण किया जाना उचित है ।

शेष गवाह दिनांक 23.05.2022 को साक्ष्य हेतु तलब हो ।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0 3,उन्नाव।
10.05.2022